

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

कमरा नं 7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन नं 0141-2227047 फैक्स नं 0141-2227281
ई-मेल: ds.tad@rajasthan.gov.in, Website: www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.5 / अभि / सीटीएडी / छात्रावास भवन निर्माण / 2018-19 जयपुर, दिनांक 08/01/2019
प्रतिष्ठा में

स्वीकृति सं 38 / 2018-19

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय – वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत उपयोजना क्षेत्र में जनजाति छात्र-छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराने हेतु राशि रूपये 600.00 लाख आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के पी.डी. खाते में हस्तानान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।

प्रसंग – आयुक्त कार्यालय की एकल पत्रावली क्रमांक एफ.5 / अभि / सीटीएडी / छात्रावास भवन निर्माण / 2018-19 में प्रेषित प्रस्तावानुसार वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति के क्रम में।

1. स्वीकृति – वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत उपयोजना क्षेत्र में जनजाति छात्र-छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराने हेतु राशि रूपये 600.00 लाख आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के पी.डी. खाते में हस्तानान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

2. योजना – जनजाति छात्र-छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण कार्य।

3. वित्तीय वर्ष – 2018-19

4. राशि – 600.00 लाख (अक्षरे रु. छ. करोड़) मात्र

5. बजट मद-

माँग संख्या – 30

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना।
(20)	जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)।
[02]	जनजाति छात्र-छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण।
17	वृहद निर्माण कार्य।

6. शर्तों:

1. राशि का उपयोग उन्हीं कार्यक्रमों पर किया जाएगा जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई है।
2. उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत करने होंगे।
3. स्वीकृति जारी होने की दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत यदि कोई राशि शेष रहती है तो राज्य सरकार को लौटानी होगी।
4. राशि का व्ययवर्तन राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं अन्य कार्यकारी एजेन्सियों/विभागों के खाते भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के अंकेक्षण हेतु खुले रहेंगे।
6. राशि का व्यय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप किया जाएगा।
7. स्वीकृति से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति का रहन/बेचान राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा।
8. किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।
9. व्यय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए ही किया जायेगा।
10. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में विहित प्रावधानों को सुनिश्चित करते हुए ही व्यय किया जायेगा।

- ११ विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का विस्तृत तकनीकी एस्टीमेट तैयार करवाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- १२ योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए वास्तविक आवश्यकतानुसार अनुमत कार्य ही सक्षम प्रशासनिक स्तर से अनुमोदन पश्चात् कराये जायेंगे।

नोट:- यह स्वीकृति आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की एकल पत्रावली संख्या एफ.५/अभि/सीटीएडी/छात्रावास भवन निर्माण/२०१८-१९ पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर उन्हीं की पत्रावली पर जारी की जा रही है। स्वीकृति जारी करने के उपरान्त मूल पत्रावली आयुक्त कार्यालय को भिजवाई जा रही है।

७. संलग्न— निल।

८. अन्तर्विभागीय सहमति संख्या:-

यह स्वीकृति वित्त (व्यय- ॥) विभाग की अन्तर्विभागीय संख्या १६१८०१३६२ दिनांक २८.१२.२०१८ द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

९. प्रतिलिपि—

- १ निजी सचिव—मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक—मंत्री, टीएडी/निजी सचिव—अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
- २ महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (आडिट / लेखे)।
- ३ संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-२) शासन सचिवालय, जयपुर।
- ४ निदेशक, वित्त (आय-व्ययक) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त स्वीकृत राशि रु. ६००.०० लाख स्वीकृति में वर्णित प्रकार से आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित करवाने का श्रम करें।
- ५ अतिरिक्त आयुक्त उपयोजना/माडा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति की प्रति संबंधित संस्थाओं को अपने स्तर से प्रेषित करने का श्रम करें।
- ६ जिला कलेक्टर, उदयपुर, बांसवाडा, झूंगरपुर एवं प्रतापगढ़।
- ७ वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कोषाधिकारी को बजट ऑनलाइन आईएफएमएस. स्थानान्तरण अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करें।
- ८ कोषाधिकारी, उदयपुर।
- ९ संयुक्त निदेशक (मोने.) टीएडी, जयपुर।
- १० एसीपी कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- ११ कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि बीएफसी अनुसार स्वीकृति का संधारण कराएँ।
- १२ गार्ड फाईल।

१०. आज्ञा से,

(संयुक्त शासन सचिव)

स्वीकृति सं० ३८/२०१८-१९

दिनांक - ०८/०१/२०१९